figures in train accidents during the last three years are as under :

Year	No. of persons killed	No of persons grievously injured
1990-91	340	306
1991-92	229	281
1992-93	281	247

(b) During the last three years, only one Railway accident involving roof travelling took place on 7-12-91. In this accident, 22 persons died and 44 sustained injuries including 22 grievous injuries.

(c) Compensation has been paid in 878 cases, whereas, 232 cases are pending mainly due to adjournment being sought by the claimants for disputes of heirship.

(d) To eliminate travelling on roofs, the following steps are taken :

(1) Exhibition at Railway Stations of notices and pictorials asking passengers to desist from travelling on roofs and making announcements through Public Address System about the danger of such travel.

(2) General instructions to the ticket checking and station staff to prevent passengers from travelling on roofs and whenever persons are noticed travelling on roofs to make them to get down before departure of the train.

(3) Raids with the assistance of the Government Railway police to prevent roof travelling by passengers.

(4) Periodical massive checks with the help of the Railway Protection Force and Railway Police to prevent this dangerous practice.

(5) Keeping in constant touch with the State Governments regarding enforcement of law and order. Guards have instructions that they should not start trains from stations unless all the passengers have been deroofed.

गैर वन रोपण प्रयोजन के लिए वन भूमि का प्रयोग

3849. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1985 से 1990 तक की अवधि के दौरान देश में गैर वनरोपण के प्रयोजनार्थ सौंपे जाने हेतु स्वीकृत की गई वन भूमि के कुल क्षेत्रफल का ब्यौरा क्या है और इसके बदले में क्षतिपूर्ति कारक वनरोपण का राज्यवार क्षेत्रफल कितना है जिसके लिए शर्त लगायी गयी है; और

(ख) क्या निर्धारित क्षेत्र में क्षतिपूर्ति कारक वनरोपण कराए जाने एवं उसे सफलतापूर्वक वनों में परिवर्तित करने की कार्यवाही की समीक्षा करने, इसमें हुई प्रगति की नियमित जांच और मूल्यांकन करने तथा समय-समय पर प्रत्यक्ष जांच करने हेतु कोई उपाय किये गए हैं; यदि हां, तो उनके राज्यवार ब्यौरा क्या है, और उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) वनेतर प्रयोजनों के लिए कोई वन भूमि मंजूर नहीं की गई है । वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत 2.83 लाख हैक्टेयर वन क्षेत्र वनेतर प्रयोगों के लिए दिया गया है । दिए गए वन क्षेत्र तथा 1-1-1985 से 31-12-1990 तक राज्यवार निर्धारित क्षतिपूरक वनरोपण का ब्यौरा विवरण में दिया गया है । **(नीचे देखिए)**

(ख) मंत्रालय ने देश में पर्यावरण और वन मंत्रालय की तकनीकी एवं पर्यावरणीय गतिविधियों की निगरानी के लिए बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, लखनऊ, शिलांग तथा चंडीगढ़ में छः क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं । इन क्षेत्रीय कार्यालयों का मुख्य कार्य वन (संरक्षण) अधिनियम तथा पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम के अंतर्गत परियोजनाओं की मंजूरी के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों की निगरानी करना है । क्षतिपूरक वनरोपण की नियमित निगरानी इन कार्यालयों के मुख्य कार्यों में से एक है । 1-1-1985 से 31-12-1990 तक किए गए क्षतिपूरक वनरोपण का राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है । **(नीचे देखिए)**

इसका कुल क्षेत्र केवल 41,205 है० बनता है । तथापि, 1991 और 1992 में वृक्षारोपण के मौसम के दौरान विशेष अभियान के रूप में अकेले इन दो वर्षों में ही 1 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र पर वृक्षारोपण किया गया । इस प्रकार 31-3-93 तक किया गया कुल क्षतिपूरक वृक्षारोपण लगभग 1.42 लाख है० क्षेत्र बनता है ।

विवरण

(क्षेत्रफल हैक्टेयर में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1-1-85 से 31-12-90 तक दिया गया वन क्षेत्र	भाग (क) का उत्तर	भाग (ख) का उत्तर
			1-1-85 से 31-12-90 तक निर्धारित क्षतिपूरक वनरोपण	1-1-85 से 31-12-90 तक किया गया क्षतिपूरक वनरोपण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	आन्ध्र प्रदेश	15,689.878	11,866.518	630.960
2.	अरूणाचल प्रदेश	97.101	186.124	26.472
3.	असम	160.201	139.823	—
4.	बिहार	2,221.788	11,651.060	—
5.	गोवा	37.510	29.576	3.000
6.	गुजरात	5,498.845	15,277.304	2,401.931
7.	हरियाणा	388.121	278.981	16.650
8.	हिमाचल प्रदेश	2,811.004	4,676.336	1,924.680
9.	जम्मू और कश्मीर	11,186.452	1,425.344	—
10.	कर्नाटक	8,654.667	7,695.445	5,572.205
11.	केरल	609.533	293.801	8.000
12.	मध्य प्रदेश	1,83,563.233	2,22,211.884	16,157.350
13.	महाराष्ट्र	18,063.754	31,533.150	922.178
14.	मणिपुर	243.728	0.368	—
15.	मेघालय	1.308	—	—
16.	उड़ीसा	11,948.156	7,847.226	1,700.000
17.	पंजाब	80.811	69.031	—
18.	राजस्थान	2,590.987	3,328.243	97.580
19.	सिक्किम	191.824	178.860	251.583
20.	तमिलनाडु	496.059	292.542	25.302
21.	त्रिपुरा	115.589	211.540	21.036
22.	उत्तर प्रदेश	20,415.486	13,105.794	3,949.975
23.	पश्चिम बंगाल	6,210.985	441.181	303.780
24.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1,938.798	3,466.900	2,026.410
	कुल जोड़	2,83,215.818	3,26,207.31	36,039.092

31-12-1984 तक किया गया क्षतिपूरक वनरोपण 5,166 है०

1-1-1985 से 31-3-1990 तक किया गया क्षतिपूरक वनरोपण 36,039 है०

1-1-1991 से 31-3-1993 तक किया गया क्षतिपूरक वनरोपण 1,00,743 है०

31-3-93 तक कुल 1,41,948 है०